न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा।

पी0ए0 केस नं0– 23/2017–18

धर्मा पहाड़िया बनाम् रैयान मौजा–डोबरी

–: आदेश :–

18.09.2021

वर्तमान प्रक्रिया आवेदक धर्मा पहाड़िया, पे0–स्व0 रूपा पहाड़िया, सा0–डोबारी, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत मौजा–डोबरी नं0–10P के ग्राम प्रधान की मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, जो अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के कार्यालय पत्रांक–645/रा0 दिनांक–23.10.2021 प्राप्त है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन का जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–645/रा0 दिनांक–23.10.2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–डोबरी नं0–10P एक प्रधानी मौजा है। मौजा–डोबरी नं0–10P के प्रधानी भू–लगान वसूली पंजी–II में रूपा पहाड़िया का नाम दर्ज है। पूर्व ग्राम प्रधान की मृत्यु के बाद रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदक धर्मा पहाड़िया, पे0–स्व0 रूपा पहाड़िया, सा0–डोबरी द्वारा आवेदन दिया गया है। आवेदक धर्मा पहाड़िया पूर्व प्रधान स्व0 रूपा पहाड़िया का पुत्र है।

ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों/रैयतों द्वारा आवेदक धर्मा पहाड़िया को ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है तथा आवेदक धर्मा पहाड़िया उक्त पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य युवक है। ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों/रैयतों द्वारा उन्हें मौजा–डोबरी नं0–10P का ग्राम प्रधान नियुक्त करने पर सहमति प्रदान की है।

अंचल अधिकारी, बोआरीजोर द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत आवेदक धर्मा पहाड़िया, पे0–स्व0 रूपा पहाड़िया, सा0–डोबरी को मौजा–डोबरी नं0–10P का ग्राम प्रधान नियुक्त करने हेतु नियमानुसार कर्रवाई करने का अनुरोध किया है।

कार्यालय आदेश ज्ञापांक–1728/सा0 दिनांक–18.09.2021 के द्वारा दिनांक–18.09.2021 को मौजा–डोबरी नं0–10P में ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु आयोजित ग्राम सभा में आवेदक धर्मा पहाड़िया को ग्राम प्रधान के रूप में नियुक्ति हेतु ग्राम सभा में उपस्थित रेयतों के द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

किसी भी व्यक्ति या प्रधिकार द्वारा उक्त नियुक्ति पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक मौजा के 16 आना रैयतों को सामान्यतः स्वीकार है तथा उनके विरूद्ध संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1950 के तहत वर्णित किसी भी प्रकार की अयोग्यता से संबंधित

F/Order.

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवेदन अप्राप्त है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, ... अनुसूची–V की उपधारा–3 के अनुसार "The office of Headman ... hereditary the next heir who is titled should be headman" के आलोक ... आवेदक के आवेदन के विरूद्ध मौजा के 16 आना रैयतों से किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक धर्मा पहाड़िया, पे0–स्व0 रूपा पहाड़िया, सा0–डोबरी, अंचल–बोआरीजोर जिला–गोड्डा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत मौजा–डोबरी नं0–10P का ग्राम प्रधान नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे एक वर्ष का खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–7 के तहत कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.12 13:31:47 +05:30
Location: 192.168.8.115

F/Order.

Scanned with OKEN Scanner